फर्द अहकाम

केशव उर्फ [illegible] वगै० बनाम शंकर वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 50/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	25/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया अतः! अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि० को खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल किया। पत्रावली कोताह शुमार होकर नोबत से फैसल हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा :— 50/2020

निर्णय दिनांक 25—10—2024

1. केशव उर्फ कान्हा पुत्र मुकेश पौत्र शंकर
2. हर्ष पुत्र मुकेश पौत्र शंकर
   नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति सुमित्रा धर्मपत्नी मुकेश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. श्वेता पुत्री राजू उर्फ राजेन्द्र
4. मिस्टी पुत्री राजू उर्फ राजेन्द्र
   नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति प्रियंका उर्फ पिंकी धर्मपत्नी राजू उर्फ राजेन्द्र जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी सुमित्रा धर्मपत्नी मुकेश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. शंकर पुत्र भैंरू
2. मुकेश पुत्र शंकर
3. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र शंकर
   जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. उप पंजियक जमवारामगढ तहसील जमवारामढ जिला जयपुर
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

निर्णय **दिनांक 25.10.2024**

पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला भू.अ.नि.क्षेत्र नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 1.4417 हैक्टेयर किस्म चाही—1 जाव स्थित है राजस्व अभिलेख सम्वत् 2074—2077 में उक्त सम्पूर्ण आराजी वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज एवं अंकित है तथा ग्राम नायला में ही खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0506 गै.मु. आबादी व चाह स्थित है जो राजस्व अभिलेख सम्वत् 2074—2077 में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 प्रत्येक का बराबर—बराबर हिस्सा 1/6 दर्ज अंकित चला आ रहा है जिस पर वादीगण अपनी माताओं के संरक्षण एवं देखरेख में उक्त वर्णित दोनो खातो की भूमियों पर अपने दादा के साथ निरन्तर काबिज काश्त होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे है विवादित भूमियों के अतरिक्त इनके पास तथा भरण—पोषण, शिक्षा—दीक्षा इत्यादि का खर्चा व आय का स्त्रोत नही है वादीगण के पिता कोई रोजगार नही करते है वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमियों को विक्रय करने एवं खुर्द—बुर्द करने पर आमादा है जबकि भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 126 में वादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(215)

व 2 के पिता मुकेश का पुश्तैनी 1/4 हिस्सा एवं वादी सख्या 3 व 4 के पिता राजू उर्फ राजेन्द्र का 1/4 हिस्सा निहित है जिसके अनुसार वादीगण का पुश्तैनी 1/12–1/12 हिस्सा निहित है एवं खसरा नम्बर 125 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्से में वादी संख्या 1 व 2 के पिता का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता का 1/8 हिस्सा निहित है जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/24–1/24 हिस्सा निहित है दिनांक 13–7–2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने साथ कुछ भू–माफिया के साथ भूमि वादग्रस्त पर आये और बेचान करने की वार्ता करने लगे जिस पर वादीगण ने अपनी माताओं जरिये विराध किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम तो इस जमीन को बेचान करेगे प्रतिवादीगण द्वारा दी गई धमकी से वादीगण के अधिकार प्रभावित हो रहे है इसलिए वादीगण ने अपने अधिकारो की रक्षार्थ उक्त आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है इसलिए प्रस्तुत प्रलेखिय साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या वाद है तथा तुलनात्मक सुविधा का संतुलन है। यदि प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका द्रव्य में मूल्यांकन नही किया जा सकेगा इसलिए आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे भूमि वादग्रस्त के किसी भी भाग को बेचान, हस्तान्तरण, अनुबधं, बख्शीश, रहन आदि नही करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने की कार्यवाही नही करें तथा राजस्व रेकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में कोई न्यायिक दृष्ट्रान्त प्रस्तुत नही किये।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से उक्त आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 125 रकबा 4 बिस्वा गै.मु. चाह/गै.मु.आबादी तथा खसरा नम्बर 126 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा के बराबर–बराबर हिस्से के पूर्व खातेदार काश्तकार भैरू व नारायण पुत्र छोटू ब्राह्मण थे जिनमें से भैंरू पुत्र छोटू ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 शंकर को गोद ले लिया भैंरू का देहान्त होने पर उपरोक्त वर्णित भूमि में भैंरू के नाम अंकित 1/2 हिस्से की भूमि के विरासत का नामान्तरकरण सख्या 34 वर्ष 1971 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया जो प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःअर्जित सम्पत्ति है और तब से प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त वर्णित भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त है जो राजस्व रेकार्ड के अवलोकन मात्र से स्पष्ट हो रहा है कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 1 ने विधिवत् वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय एवं डिक्रि दिनांक 15–1–2018 के द्वारा भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 126 का विधिवत् विभाजन करवा लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 126 रकबा 1.4417 हैक्टेयर एवं 125 रकबा 0.0506 हैक्टेयर गै.मु.आबादी चाह का स्वतन्त्र खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(3/5)

प्रतिवादी संख्या 1 समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में अंकित किया गया इसलिए भूमि वादग्रस्त प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःअर्जित सम्पत्ति है जिससे वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में कोई सम्बंध एवं सरोकार नही है प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी स्वतन्त्र खातेदारी में अंकित उपरोक्त वर्णित का प्रत्येक प्रकार से उपयोग–उपभोग करने के समस्त अधिकार प्राप्त है जिस पर वादीगण एवं इनकी माताओं का कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है उल्लेखनिय है कि जिस समय प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उपरोक्त वर्णित भूमि का नामानतरकरण संख्या 34 स्वीकृत किया गया उस समय ना तो वादीगण का जन्म हो चुका था और ना ही इनकी माताओं का विवाह हुआ था इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि का प्रत्येक प्रकार से उपयोग–उपभोग करने एवं बेचान हस्तान्तरण करने से वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को निषेधाज्ञा आदेश से पावंद करवाने का कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नही है वास्तविकता यह है वादीगण की माताओं का विवाह प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्रगण अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से होने के पश्चात् से वादीगण की माताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से लडाई झगडा करना एवं झुठे वाद–विवादो में फसाने की कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 से मारपीट की गई जिनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि दर्ज है और अब वादीगण की माताओं ने उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को अनावश्यक हैरान एवं परेशान करने के कुत्सित् उद्देश्य से उक्त वाद एवं आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर एकपक्षिय निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22–7–2020 को प्राप्त कर लिया जिसकी आड में अब वे जबरन भूमि वादग्रस्त पर कब्जा कर प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी स्वतन्त्र खातेदार एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व प्रसारित एकपक्षिय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22–7–2020 निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थीगण ने आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा के पैरा संख्या 11 में यह स्पष्ट ही नही किया है कि किस प्रकार से प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और जब प्रार्थीगण प्रथम दृष्ट्या वाद एवं सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में माननीय न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं कर सके है तो वह माननीय न्यायालय से कोई निषेधाज्ञा आदेश उत्तरदाता के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता में वर्णित तीनो आज्ञाकारी प्रावधानो "प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन अपूर्तनिय क्षति" तथा नियमों को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है किन्तु फिर भी प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त तीनो ही आज्ञाकारी प्रावधानो एवं नियमो का उल्लेख अंकित किये बिना ही यह आवेदन प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी की दूरभि संधि एवं षड्यंत्र को स्पष्ट सिद्ध करता है। परिणामस्वरूप आवेदन असत्य, आधारहीन एवं विधिविरुद्ध तथ्यों तथा दस्तावेज के आधार पर केवलमात्र मिनउत्तरदाता को हैरान व परेशान कर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

415

उसके द्वारा बहुमूल्य विक्रय प्रतिफल अदा कर विधिवत् कब्जा काश्त में प्राप्त की गई तथा खातेदारी में अंकित चली आ रही भूमि से उसे बेदखल करने का कुत्सित उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है, प्रार्थीगण/वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन कतई बदनियतिपूर्वक अप्रार्थीगण को अनावश्यक हैरान व परेशान करने के कुत्सित उद्देश्य से प्रस्तुत किया है न्यायिक प्रक्रिया का सार्वभौमिक सिद्धांन्त है कि सदाशयी व्यक्ति ही न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है जबकि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष ना तो स्वच्छ हस्त आया है और ना ही उसका उद्देश्य विधिसम्मत व सदाशयपूर्ण है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्ट्रान्त एस.सी.सी. 2016 (4) पेज 68, 2004 ए. आई.आर. दिल्ली पेज 410, डी.एन.जे. 2002 (1) राज. पेज 159, डबल्यू.एल.सी. 2008 (सिविल) सुप्रिम कोर्ट पेज 127, डी.एन.जे. 2003 (1) पेज 470, ए.आई.आर. 2002 राज. पेज 159, ए.आई.आर. 1999 उडिसा पेज 49, ए.आई.आर. 2011 उडिसा पेज 155, एस.सी.सी. 1995 (3) पेज 33, आर. आर.डी. 1997 पेज 447, आर.बी.जे. 2006 पेज 773, आर.बी.जे. 2005 पेज 87, आर.बी.जे. 2005 पेज 87, आर.बी.जे. 2006 पेज 21, आर.बी.जे. 2004 पेज 270, 163, आर.बी.जे. 2003 पेज 490, 497, आर.आर.डी. 2007 पेज 261, आर.आर.डी. 1947 पेज 446, आर.आर.डी. 1992 पेज 201, ए. आई.आर. 1987 गुजरात पेज 30, डी.एन.जे. 2007 (1) राज. पेज 267, एस.सी.सी. 1990 पेज 723, 731, आर.आर.सी. 1996 पेज 271, आर.आर.सी.1996 पेज 246, डबल्यू.एल.सी. 2003 (1) सुप्रिम कोर्ट पेज 398, ए.आई.आर. 2003 सुप्रिम कोर्ट पेज 1989 पेश किये।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनने, पत्रावली पर आवेदन एवं जवाब आवेदन तथा उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि वादग्रस्त प्रतिवादी संख्या 1 को [redacted] रेकार्डेड खातेदार काश्तकार भैंरू पुत्र छोटू से दत्तक पुत्र की हैसियत में विरासत में वर्ष 1971 में प्राप्त हुई है तब से प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त वर्णित भूमि का बहैसियत खातेदार काश्तकार निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त है उक्त समय ना तो वादीगण का जन्म हो चुका था और ना ही वादीगण की माताओं का विवाह हो चुका था इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है और अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते हुए एवं प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जीवित रहते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि में कोई हक एवं अधिकार हासिल नही हो सकते है जैसाकि माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्ट्रान्त एस.सी.सी. 2016 (4) पेज 68 में स्पष्ट किया गया है इसलिए प्रार्थीगण का ना तो प्रथम दृष्ट्या वाद है एवं ना ही सुविधा का संतुलन ही प्रार्थीगण के पक्ष में है, प्रार्थीगण स्वच्छ हस्त से नही

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली

(95)

आये है उक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो एवं विभिन्न न्यायालयों एवं माननीय मण्डल द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं न्यायिक दृष्टान्तो 2004 ए.आई.आर. दिल्ली पेज 410, डी.एन.जे. 2002 (1) राज. पेज 159, डबल्यू.एल.सी. 2008 (सिविल) सुप्रिम कोर्ट पेज 127, आर.आर.डी. 1947 पेज 446, आर.आर.डी. 1992 पेज 201 का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन करने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष सिद्ध होता है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमि विवादग्रस्त का रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है जिसके विरूद्ध निषेधाज्ञा प्रसारित नही की जा सकती है जैसाकि विभिन्न सर्वोच्य न्यायालयों द्वारा पारित न्यायिक दृष्ट्रान्त एस.सी.सी. 1995 (3) पेज 33, आर.आर.डी. 1997 पेज 447, आर.बी.जे. 2006 पेज 773, आर.बी.जे. 2005 पेज 87, आर.बी. जे. 2005 पेज 87, आर.बी.जे. 2006 पेज 21, आर.बी.जे. 2004 पेज 270, 163, आर.बी.जे. 2003 पेज 490, 497, आर.आर.डी. 2007 पेज 261 का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन करने स्पष्ट होता है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष सिद्ध होता है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि पर भौतिक तथा वास्तविक रूप से काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं जो उक्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें अपनी सम्पत्ति का अपनी स्वेच्छा एवं आवश्यकतानुसार उपयोग, उपभोग करने का पूर्ण संवैधानिक एवं साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त है, जिनके विरूद्ध यदि किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाती है तो उससे अप्रार्थी संख्या 1 को ही अपूरणीय क्षति कारित होगी ना कि प्रार्थीगण को, जैसाकि न्यायिक दृष्ट्रान्त ए.आई.आर. 1999 उडिसा पेज 49, ए.आई.आर. 2011 उडिसा पेज 155 का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन करने स्पष्ट होता है इसलिए अपूर्तनिय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष सिद्ध होता है। उपरोक्त विवेचनो एवं न्यायिक दृष्ट्रान्तो का ससम्मान अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु प्रतिपादित तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सिद्ध होते है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़